नेशनल ब्रीफ

केरल: पूर्व मंत्री राजू विधानसभा सदस्यता से अयोग्य घोषित

तिरुवनंतपुरम। केरल की तिरुवनंतपुरम सीट से विधायक व पूर्व मंत्री एंटनी राजू को विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। यह कदम राजू को 1990 में मादक पदार्थ की जब्ती से जुड़े एक मामले में सबूतों से छेड़छाड़ का दोषी ठहराए जाने के दो दिन बाद उठाया गया है। केरल विधानसभा सचिवालय ने सोमवार को विधायक पद के लिए राजू को अयोग्य करार दिए जाने से जुड़ी अधिसूचना जारी की। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट-1 की अदालत ने जनाधिपत्य केरल कांग्रेस के सदस्य राजू को मादक पदार्थ जब्ती से जुड़े मामले में सबूतों से छेड़छाड़ का दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा सुनाई थी।

एसआईआर में अमानवीय आचरण पर जाएंगे कोर्ट : ममता

सागर द्वीप। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि वह राज्य में एसआईआर के दौरान किए गए अमानवीय आचरण के खिलाफ अदालत जाएंगी। दक्षिण 24 परगना जिले के सागर द्वीप की जनसभा में उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया से जुड़े भय, उत्पीड़न और प्रशासनिक मनमानी से कई लोगों की मौत हुई है और कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। उन्होंने कहा कि हम एसआईआर से हुए अमानवीय व्यवहार और इतनी बड़ी संख्या में मौत के खिलाफ अदालत में कल याचिका दायर करेंगे। यदि अनुमति मिली तो मैं भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इस अमानवीय प्रक्रिया के खिलाफ आवाज उठाऊंगी।

मतदाताओं के नाम हटाने की अनजाने में गलती हुई : आयोग

कोलकाता। निर्वाचन आयोग ने सोमवार को कहा कि टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने जिन तीन मतदाताओं को मसौदा सूची में मृत घोषित किए जाने का दावा किया था, उनके नाम अनजाने में हुई गलती के कारण हटा दिए गए थे। अभिषेक ने दक्षिण 24 परगना जिले के बारुईपुर में हाल ही में एक रैली में एक महिला सहित तीनों मतदाताओं को पेश कर दावा किया कि मतदाता सूची के मसौदे में उन्हें मृत घोषित किया गया है। सीईओ कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि तीनों मामलों में नामों को जानबूझकर नहीं हटाया गया था।

लालू यादव की याचिका पर सीबीआई से किया जवाब तलब

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने आईआरसीटीसी घोटाला में आरोप तय करने के आदेश के खिलाफ राजद नेता लालू प्रसाद यादव की याचिका पर सोमवार को सीबीआई से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने मुकदमे पर रोक लगाने से इन्कार करते हुए कहा कि जांच एजेंसी के जवाब पर गौर किए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता। अदालत ने सीबीआई से यादव की याचिका और रोक के आवेदन पर जवाब मांगा और मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 जनवरी की तारीख तय की।

सोमनाथ मंदिर भारतीय सभ्यता की अदम्य भावना का प्रतीक : मोदी

विदेशी आक्रमणकारियों के हमलों के बाद गुजरात में पुनर्निर्मित मंदिर का प्रधानमंत्री 11 जनवरी को करेंगे दौरा

नई दिल्ली, एजेंसी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विदेशी आक्रमणकारियों के बार-बार हमलों के बाद पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का 11 जनवरी को दौरा करेंगे। मोदी ने सोमनाथ मंदिर की सराहना करते हुए सोमवार को कहा कि गुजरात स्थित यह मंदिर भारतीय सभ्यता की अदम्य भावना का प्रतीक है। अधिकारियों ने बताया कि 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' के अवसर पर सोमनाथ में वर्षभर गतिविधियां आयोजित किए जाने की योजना बनाई गई है। आठ से 11 जनवरी तक सोमनाथ में अनेक आध्यात्मिक और सामाजिक गतिविधियां होंगी।

● मोदी ने कहा- 1951 में मंदिर के उद्घाटन से अधिक उत्साहित नहीं थे जवाहरलाल नेहरू

प्रधानमंत्री ने सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले आक्रमण के 1,000 साल पूरा होने पर 'ब्लॉग पोस्ट' में कहा, हमारी सभ्यता की अदम्य भावना का सोमनाथ से बेहतर कोई उदाहरण नहीं हो सकता। यह मंदिर बाधाओं एवं संघर्षों पर विजय प्राप्त करते हुए गौरव के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर कटाक्ष करते हुए कहा कि नेहरू 1951 में मंदिर के उद्घाटन से अधिक उत्साहित नहीं थे। 2026 सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले आक्रमण के 1,000 वर्ष पूरे होने का गवाह है और इसके बाद हुए बार-बार के हमलों के बावजूद यह मंदिर आज भी गर्व से खड़ा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि सोमनाथ की गाथा भारत माता की उन अनगिनत संतानों के अटूट साहस की कहानी है जिन्होंने हमारी संस्कृति और सभ्यता की रक्षा की। उन्होंने कहा कि यही भावना आज राष्ट्र में भी दिखाई दे रही है जो सदियों के आक्रमणों और औपनिवेशिक लूट से उबरकर वैश्विक विकास के सबसे चमकते केंद्रों में से एक बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे मूल्यों और हमारे लोगों के संकल्प की वजह से आज भारत पर दुनिया की नजर है। दुनिया भारत को आशा और विश्वास की दृष्टि से देख रही है। वह हमारे नवोन्मेषी युवाओं में निवेश करना चाहती है। उन्होंने कहा कि हमारी कला, हमारी संस्कृति, हमारा संगीत और हमारे अनेक पर्व आज वैश्विक पहचान बना रहे हैं। योग और आयुर्वेद जैसे विषय पूरी दुनिया में प्रभाव डाल रहे हैं। ये स्वस्थ जीवन को बढ़ावा दे रहे हैं। आज कई वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए दुनिया भारत की ओर देख रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अतीत के आक्रमणकारी आज समय की धूल बन चुके हैं। उनका नाम अब विनाश के प्रतीक के तौर पर लिया जाता है। उन्होंने कहा कि इतिहास के पन्नों में वे केवल 'फुटनोट' हैं जबकि सोमनाथ आज भी अपनी आशा बिखेरता हुआ प्रकाशमान खड़ा है। सोमनाथ हमें यह बताता है कि घृणा और कट्टरता में विनाश की विकृत ताकत हो सकती है, लेकिन आस्था में सृजन की शक्ति होती है।

भाजपा ने लगाया आरोप, वामपंथी इतिहासकारों और नेहरू ने गजनी को महज लुटेरा बताकर इतिहास को किया विकृत, धार्मिक कट्टरपंथी नहीं बताया

नई दिल्ली। भाजपा ने महमूद गजनी के सोमनाथ मंदिर पर किए पहले हमले की 1,000वीं बरसी पर कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि यह दिन ये याद रखने और समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि कैसे जवाहरलाल नेहरू और वामपंथी इतिहासकारों ने मुस्लिम आक्रमणकारी को केवल लुटेरा बताकर इतिहास को विकृत किया और यह नहीं कहा कि वह एक धार्मिक कट्टरपंथी था। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि मंदिर के पुजारियों और तत्कालीन राजा ने महमूद गजनी से लाखों सोने के सिक्कों के बदले शिवलिंग को छोड़ने की विनती की थी, लेकिन उसने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और यह कहते हुए उसे तोड़ दिया कि वह मूर्ति पूजकों के साथ व्यापार करने वाले घृणित व्यक्ति के बजाय मूर्तिभंजक के रूप में जाना जाना चाहता है। भाजपा के राज्यसभा सदस्य ने कहा, महमूद गजनी के साथ रहे एक इतिहासकार ने अपने लेखन में इस घटना का जिक्र किया है। इससे वामपंथी इतिहासकारों और अन्य लोगों द्वारा इतिहास को विकृत करने वाले सभी सिद्धांत ध्वस्त हो जाते हैं। त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि उन्होंने महमूद गजनी को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जो धार्मिक कट्टरपंथी नहीं था और वह भारत में केवल लूटपाट के उद्देश्य से आया था।

प्रधानमंत्री को अजमेर दरगाह पर चादर चढ़ाने से रोकने वाली याचिका रद्द

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी को अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर चढ़ाने से रोकने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। सीजेआई सूर्यकांत और जॉयमाल्या बागची की पीठ ने सुनवाई करने से इन्कार करते हुए कहा कि यह मुद्दा तर्कसंगत नहीं है।

याचिकाकर्ता जितेंद्र सिंह और अन्य के अधिवक्ता बरुन सिन्हा ने कहा कि अजमेर दरगाह पर प्रधानमंत्री द्वारा चादर चढ़ाने की प्रथा तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1947 में शुरू की थी और यह तब से बिना कानूनी या संवैधानिक आधार के जारी है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने सिन्हा से कहा कि चूंकि यह मामला तर्कसंगत नहीं है, इसलिए न्यायालय इस पर टिप्पणी नहीं करेगा। सिन्हा ने कहा कि निचली अदालत में इस दावे पर मुकदमा है कि दरगाह का निर्माण शिव मंदिर पर किया गया था।

उमर खालिद और शरजील इमाम की दिल्ली दंगों में थी संलिप्तता, सबूतों से यह स्पष्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यूएपीए के प्रावधानों के तहत प्रथमदृष्ट्या आरोप सही होने पर नहीं दे सकते जमानत

नई दिल्ली, एजेंसी

सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों से पता चलता है कि दोनों 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश रचने, लामबंदी करने और रणनीतिक दिशा-निर्देश देने में शामिल थे। शीर्ष कोर्ट ने यूएपीए की धारा 43डी (5) का हवाला दिया, जिसके अनुसार यदि किसी मामले की डायरी या आरोपपत्र की जांच करने पर कोर्ट को यह विश्वास करने के लिए उचित आधार मिलते हैं कि किसी व्यक्ति के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सही है, तो उसे जमानत देने से इन्कार करना होगा।

पीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सामग्री से साजिश, लामबंदी और रणनीतिक दिशा-निर्देश के स्तर पर भागीदारी का संकेत मिलता है जो छिटपुट या स्थानीय कृत्यों से कहीं आगे तक फैला है। इसके अलावा, यूएपीए की धारा 43डी (5) के तहत यह वैधानिक सीमा इन अपीलकर्ताओं के संबंध में लागू होती है। यूएपीए के प्रावधान के अनुसार, यदि मामले की डायरी या संहिता की धारा 173 के तहत बनाई गई रिपोर्ट का अवलोकन करने पर न्यायालय की राय हो कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सत्य है, तो ऐसे आरोपी व्यक्ति को जमानत पर या स्वयं के निजी मुचलके पर रिहा नहीं किया जाएगा।

हालांकि, कोर्ट ने गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को यह कहते हुए जमानत दे दी कि इससे उनके खिलाफ लगे आरोपों की गंभीरता में कोई कमी नहीं आती। शीर्ष अदालत ने कहा कि यद्यपि यूएपीए मामलों में जमानत देना नियमित प्रक्रिया नहीं है, फिर भी कानून के तहत जमानत देने से इनकार करना अनिवार्य नहीं है और यह कानून जमानत देने के न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को भी सीमित नहीं करता।

गुलफिशा की नहीं थी कोई सीधी भूमिका

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी कार्यकर्ता गुलफिशा फातिमा की सीएए के खिलाफ आंदोलन के दौरान प्रदर्शन स्थलों पर स्वतंत्र नेतृत्व, संसाधनों पर नियंत्रण या रणनीतिक निगरानी में कोई सीधी भूमिका नहीं थी। फातिमा को जमानत देते हुए पीठ ने कहा कि कथित साजिशकर्ताओं उमर खालिद और शरजील इमाम की तुलना में उसकी स्थिति अलग है। यह आरोप कि गुलफिशा ने महिलाओं को संगठित किया और प्रदर्शन स्थलों की व्यवस्थाओं का समन्वय किया, यह स्पष्ट नहीं करता कि उन्होंने प्रदर्शन स्थलों पर स्वतंत्र कमान संभाली।

जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उमर ने कहा- अब जेल ही मेरी जिंदगी, जिन्हें जमानत मिली हैं उनके खुश हूं

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उमर खालिद ने अपनी दोस्त बनोज्योत्सना लाहिड़ी से कहा कि अब जेल ही उसकी जिंदगी है लेकिन वह अन्य आरोपियों की जमानत अर्जी मंजूर होने से खुश है। बनोज्योत्सना ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, उमर ने कहा- मैं बाकी लोगों के लिए बहुत खुश हूं, जिन्हें जमानत मिल गई, राहत महसूस हो रही है। जवाब में मैंने कहा, मैं कल मुलाकात के लिए आऊंगी। उमर ने कहा, हां अच्छा है, आ जाना। अब यही जिंदगी है।

उमर-शरजील को जमानत नहीं, राम रहीम को 15वीं बार पैरोल

यह सिद्धांत कि 'जमानत नियम है, जेल अपवाद' कुछ खास लोगों के मामले में स्पष्ट रूप से लागू नहीं होता। उमर खालिद को जमानत नहीं मिल रही, कठोर यूएपीए कानून के तहत 5 साल से भी ज्यादा समय से उन्हें हिरासत में रखा गया है, जबकि मुकदमा अभी शुरू भी नहीं हुआ है। इस बीच बलात्कार के दोषी और हत्यारे गुरमीत राम रहीम सिंह जिसे 2017 में सजा सुनाई गई थी, उसे अभी 40 दिन की और पैरोल दी गई है, जो सजा के बाद जेल से उसकी 15वीं अस्थाई रिहाई है। **- जॉन ब्रिटास, माकपा के सांसद**

जमानत से इन्कार से परेशान करने वाले सवाल खड़े होते हैं। संवैधानिक अदालतों के पास ऐसे मामलों में जमानत देने की शक्ति है जहां कारावास गैरजरूरी रूप से लंबा, अनुचित हो जाता है। यह उनका कर्तव्य भी है लेकिन खालिद और शरजील के मामले में न्यायिक दृष्टिकोण लगता है कि जैसे जेल में बिताया गया लंबा समय अभी भी पर्याप्त नहीं है और मुकदमे में देरी असंवैधानिक नहीं है। इससे सवाल उठते हैं कि संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित करने से पहले कितनी कैद सहनी होगी। **- मनोज झा, राजद सांसद**

ये न्याय का मखौल: महबूबा

श्रीनगर। पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में कार्यकर्ता उमर खालिद को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत देने से इन्कार करना न्याय का मखौल है, जबकि बलात्कार के दोषी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बार-बार पैरोल दी जा रही है। महबूबा ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, न्याय का कैसा मखौल है, एक तरफ गुरमीत जिसे बलात्कार और हत्या का दोषी ठहराया गया है, उसे बार-बार पैरोल मिल रही है। दूसरी तरफ उमर खालिद जो केवल आरोपी है और जिसके खिलाफ अभी तक मुकदमा शुरू नहीं हुआ है, पांच साल से अधिक समय से जेल में है और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे जमानत देने से इन्कार कर दिया। अन्याय के बोझ तले न्याय का तराजू टूट रहा है।

खालिद के पिता बोले- यह दुर्भाग्यपूर्ण है

उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज किए जाने पर खालिद के पिता एसक्यूआर इलियास ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इलियास ने कहा, कुछ नहीं कहना। फैसला सामने है और मुझे कुछ नहीं कहना है। शरजील के चाचा अरशद इमाम ने कहा, फैसले की जानकारी पाकर मैं बेहद आहत हूं। पूरी उम्मीद थी कि इस बार अदालत जमानत देगी, फिर भी अदालत के फैसले का सम्मान करता हूं।

भाजपा ने कसा तंज, टुकड़े-टुकड़े गैंग में दुख का माहौल

नई दिल्ली। भाजपा ने उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत नामंजूर होने पर कांग्रेस पर तंज कसा। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि शीर्ष कोर्ट के निर्णय के बाद देश के टुकड़े-टुकड़े गैंग में दुख का माहौल है। उन्होंने कहा कि उमर खालिद और शरजील इमाम के लिए सिर्फ कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम से नहीं, बल्कि विदेश से भी बहुत सारे पत्र और संवेदनाएं प्रकट हो रही थी। कोर्ट ने दोनों के खिलाफ आरोपों को प्रथमदृष्टया सही माना है। उन्होंने कहा कि यह कोई संयोग नहीं बल्कि सोची समझी और हिंदू विरोध और वोटबैंक फैक्टर की सबसे बड़ी साजिश थी।

सिख विरोधी टिप्पणियों पर मान अकाल तख्त में तलब

अमृतसर, एजेंसी

● बरनाला के बाद तलब होने वाले पंजाब के दूसरे मुख्यमंत्री

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को उनके कथित सिख विरोधी बयानों के संबंध में 15 जनवरी को अकाल तख्त सचिवालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया गया है। अकाल तख्त के कार्यवाहक जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज ने सोमवार को उन्हें गुरु की गोलक (गुरुद्वारे की दान पेटी) पर कथित टिप्पणी करने और सिख गुरुओं तथा मारे गए उग्रवादी जरनैल सिंह भिंडरावाले की तस्वीरों के संदर्भ में आपत्तिजनक गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप में तलब किया है।

सिखों की सर्वोच्च धार्मिक पीठ के जत्थेदार ने कहा कि मान ने जानबूझकर सिख विरोधी मानसिकता दिखाई और कमाई का 10 प्रतिशत दान करने के सिद्धांत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं। मान पंजाब के दूसरे मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें इस कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। इससे पहले सुरजीत सिंह बरनाला को 1980 के दशक में अकाल तख्त ने तलब किया था। गड़गज ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र पढ़कर सुनाते हुए कहा, हाल ही में आपके कुछ वीडियो सामने आए हैं, जिनमें आपको सिख गुरु साहिबान और जरनैल सिंह भिंडरावाले की तस्वीरों के संदर्भ में बेहद आपत्तिजनक गतिविधियां करते हुए देखा जा रहा है। सिख विरोधी बयान उनके सत्ता के अहंकार को दर्शाते हैं। गड़गज ने अकाल तख्त वीडियो की फॉरेंसिक जांच कराएगा और अगर यह प्रामाणिक पाया जाता है, तो पंथिक परंपराओं के अनुसार मान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बीच, मान ने कहा कि वह अकाल तख्त के निर्देश का पालन करेंगे। इसलिए 15 जनवरी को राष्ट्रपति के कार्यक्रम में भी नहीं जाएंगे।

बजरंग दल को प्रतिबंधित करने के कांग्रेस के वादे की पुलिस को जांच का आदेश

मुंबई। मुंबई की एक अदालत ने सोमवार को पुलिस को उन आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया कि कांग्रेस ने 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव के घोषणापत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का वादा संगठन को बदनाम करने की दुर्भावनापूर्ण मंशा से किया था।

बजरंग दल के एक कार्यकर्ता ने शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन पीएफआई के साथ तुलना कर संगठन की प्रतिष्ठा को धूमिल किया है। उसने पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और दक्षिणी राज्य के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ मानहानि की धाराओं के तहत कार्रवाई की मांग की।

जमानत में अलग-अलग मापदंड अपनाने वाले जज की बर्खास्तगी रद्द

नई दिल्ली, एजेंसी

● सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सिर्फ गलत आदेश की वजह से नहीं की जा सकती अनुशासनात्मक कार्रवाई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि महज इसलिए कि कोई आदेश गलत है या निर्णय में कोई त्रुटि है, किसी न्यायिक अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही या अभियोजन की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती। कोर्ट ने इसके साथ मध्यप्रदेश के उन जिला न्यायाधीश की बर्खास्तगी को रद्द कर दिया, जिन्होंने आबकारी अधिनियम के तहत आरोपियों को जमानत देने में अलग-अलग मापदंड अपनाए थे।

न्यायमूर्ति जेबी परदीवाला और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि एक न्यायिक अधिकारी को मामलों का फैसला करने का कठिन कर्तव्य सौंपा जाता है और अनिवार्य रूप से, मामले में एक पक्ष को हार का सामना करना पड़ता है तथा वह असंतुष्ट होकर लौटता है। पीठ ने कहा, इनमें से असंतुष्ट तत्व हिसाब बराबर करने की चाह में निराधार आरोप लगा सकते हैं। निचली अदालतों पर काम का भारी दबाव होता है और वे कठिन परिस्थितियों में काम करती हैं। न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने कहा कि यह मामला न्यायिक अधिकारी निर्भय सिंह सुलिया की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को उजागर करता है, जिन्हें 27 वर्षों के बेदाग रिकॉर्ड के बाद केवल चार न्यायिक आदेशों के कारण सेवा से हटा दिया गया था। पीठ ने सुलिया की अपील को स्वीकार कर लिया, जिन्हें मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की सिफारिश पर राज्य सरकार ने सेवा से बर्खास्त कर दिया था। जांच अधिकारी ने जमानत आदेश पारित करने में भ्रष्टाचार के आरोपों में दम पाया था। उन्होंने कहा, 2 सितंबर 2015 का बर्खास्तगी आदेश, 17 मार्च, 2016 का अपीलीय प्राधिकारी का आदेश और हाईकोर्ट का आदेश सभी रद्द किए जाते हैं। अपीलकर्ता को सेवानिवृत्ति की सामान्य आयु तक सेवा में बने रहने वाला माना जाएगा।

कोर्ट ने कहा, चूंकि अपीलकर्ता को बिना किसी गलती के सेवा से बाहर रखा गया है, इसलिए हमारी राय है कि उसे सभी लाभों सहित पूरा बकाया वेतन दिया जाना चाहिए। आज से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर 6 प्रतिशत की दर से ब्याज सहित मौद्रिक लाभ जारी किए जाएं। कहा, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि केवल किसी आदेश के गलत होने या निर्णय में त्रुटि होने के कारण, बिना किसी अन्य कारण के, किसी न्यायिक अधिकारी को अनुशासनात्मक कार्यवाही या अभियोजन की पीड़ा से न गुजरना पड़े।

देश के सबसे स्वच्छ शहर का हाल : बीमारी से बचने को टैंकर का पानी पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं लोग।

इंदौर में दूषित पानी पीने से 38 और लोग बीमार, 110 अब भी अस्पताल में भर्ती

इंदौर। शहर में दूषित पानी से बीमार होने का सिलसिला अब भी जारी है। भागीरथपुरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्षेत्र में दूषित पेयजल से जुड़े उल्टी-दस्त के 38 नए मामले सोमवार को सामने आए। अधिकारियों ने बताया कि छह मरीजों को उपचार के लिए अस्पतालों में रेफर किया गया है, जबकि 110 मरीजों का पहले से अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इनमें से 15 मरीजों को आईसीयू में भर्ती किया गया है। भागीरथपुरा में लोगों ने अब तक 17 मौतें होने का दावा किया है लेकिन सोमवार को एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दूषित पानी से अब तक सात लोगों की जान गई है। इस बीच, स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्र में क्लोरीनयुक्त पेयजल की उपलब्धता के लिए भगीरथपुरा इलाके में 'कोबो टूल' के माध्यम से घर-घर सर्वेक्षण किया। इसके अलावा क्षेत्र में करीब 200 टीमों को तैनात किया गया। प्रत्येक परिवार को ओआरएस के 10 पैकेट, जिंक की 30 गोलियां और एक 'क्लीन वॉटर ड्रॉपर' वितरित किया गया।

गुजरात: शेरनी को बेहोश करने को फेंका डार्ट लगने से ट्रैकर की मौत

जूनागढ़। गुजरात के अमरेली जिले में बचाव अभियान के दौरान शेरनी को बेहोश करने वाला 'डार्ट' लगने से वन विभाग के लिए 'ट्रैकर' के रूप में काम करने वाले एक व्यक्ति की मौत हो गई।

मुख्य वन संरक्षक (जूनागढ़ वन्यजीव प्रभाग) राम रतन नाला ने मृतक की पहचान अशरफ चौहान के रूप में की। नाला ने कहा कि रविवार को चार वर्षीय लड़के की हत्या करने वाली शेरनी को बेहोश करके पिंजरे में बंद करने के अभियान के दौरान, बचाव दल द्वारा चलाई दागी गई एक डार्ट गलती से कुछ दूरी पर खड़े ट्रैकर अशरफ चौहान को लग गई। अशरफ को पहले विसावदर के एक अस्पताल में ले जाया गया और फिर जूनागढ़ सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां आज सुबह सात बजे उसकी मौत हो गई।

मैं कभी न पार्टी लाइन से हटा न कभी मोदी की तारीफ की : थरूर

वायनाड। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य शशि थरूर ने कहा कि वह कभी भी पार्टी लाइन से अलग नहीं हुए हैं। उन्होंने वरिष्ठ नेता आडवाणी के बचाव में की गई टिप्पणी को शिष्टाचार बताया जबकि प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की बात से इन्कार कर दिया।

विधानसभा चुनाव के संबंध में बाथरी में हुए शिविर में भाग लेने के बाद उन्होंने कहा, मेरा सवाल यह है कि किसने कहा कि मैंने पार्टी की विचारधारा का उल्लंघन किया है। मैंने विभिन्न विषयों पर राय व्यक्त की है, लेकिन अधिकतर मामलों में पार्टी और मैं एक रुख पर कायम रहे हैं। थरूर ने कहा कि उन्होंने संसद में मंत्रियों के सामने जो सवाल उठाए थे, उनकी एक स्पष्ट दिशा थी।

चुनावी उठापटक | विपक्ष ने धमकाकर और प्रलोभन देकर नाम वापस कराने का लगाया आरोप, मनसे अदालत पहुंची

68 सीटों पर निर्विरोध जीतों से गरमाए महाराष्ट्र निकाय चुनाव

मुंबई, एजेंसी

महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनावों से पहले महायुति उम्मीदवारों की निर्विरोध जीत को लेकर विवाद सोमवार को मुंबई हाईकोर्ट पहुंच गया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के एक नेता ने याचिका दायर कर कोर्ट से 68 सीटों पर परिणामों की घोषणा पर रोक लगाने और दबाव में सामूहिक रूप से नाम वापस लेने की अदालत की निगरानी में जांच कराने का आग्रह किया।

मनसे की ठाणे इकाई के प्रमुख अविनाश जाधव ने आरोप लगाया कि विपक्षी उम्मीदवारों को भ्रष्ट तरीकों से अपने नामांकन पत्र वापस लेने के लिए मजबूर किया गया। उन्हें डराया-धमकाया या प्रलोभन दिया गया, जो संविधान के अनुच्छेद 243-जेडए के तहत स्वतंत्र और निष्पक्ष होने के प्रावधान का उल्लंघन करता है। जाधव ने याचिका में सामूहिक रूप से नाम वापस लेने की अदालत की निगरानी में जांच और उन 68 सीटों पर परिणामों की घोषणा पर रोक लगाने की मांग की, जहां सत्तारूढ़ भाजपा और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने निर्विरोध जीत का दावा किया है। राज्य में 15 जनवरी को 29 नगर निकायों के लिए चुनाव होने हैं। याचिका पर फिलहाल सुनवाई की तारीख तय नहीं हुई है।

इससे एक दिन पहले शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने राज्य निर्वाचन आयोग से 68 नगर निकाय वार्डों के नतीजे रद्द करने की अपील की, जहां निकाय चुनावों से पहले सत्तारूढ़ महायुति के उम्मीदवारों को निर्विरोध विजेता घोषित किया गया। उद्धव ने कहा कि निर्विरोध जीत जेनरेशन जी और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं को उनके मताधिकार से वंचित कर देती है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे के साथ अपने संयुक्त घोषणापत्र को जारी करते हुए उद्धव ने चेतावनी दी कि लोकतंत्र को भीड़तंत्र द्वारा कुचला नहीं जाना चाहिए। पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष पर चुनाव में आसन्न हार देखते हुए बहाने ढूंढने का आरोप लगाया। कहा, वे बेशक अदालत जा सकते हैं, लेकिन जनता की अदालत ने हमें चुना है। जनादेश अदालत में सर्वोपरि होगा।

ये जेन जी के मताधिकार की लूट, नोटा की व्यवस्था का भी हनन : कांग्रेस

महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने मांग की है कि मतदाताओं को उन नगर निकाय वार्डों में भी नोटा का विकल्प चुनने की अनुमति दी जाए जहां उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित होते हैं, ताकि नागरिक अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग कर सकें। उन्होंने आरोप लगाया, भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति की सत्ता की लालसा लोकतंत्र को निगलने की हद तक पहुंच गई है। फडणवीस सरकार नगर निकाय चुनावों में निर्विरोध जीत हासिल करने के लिए दबाव, धमकियों और धनबल का इस्तेमाल करके लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। मतदान से पहले ही खुलेआम पैसों का खेल चल रहा है, और निर्विरोध जीतने के लिए, सत्ताधारी दलों के नेता पुलिस और प्रशासन की मदद से विपक्षी उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करने से भी रोक रहे हैं। इस तरह की घटनाओं पर निर्वाचन आयोग मूक दर्शक बना हुआ है।